अंचल कार्यालय महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या–217/16–17

(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950(झारखण्ड में अंगीकृत) धारा–4(H)के अर्न्तगत)

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
	इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04/स0भू0 (दिशा निर्देश)–95/2016, 2074/रा0 राजस्व, निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्त्ता पाकुड़ के संसूचित आदेश ज्ञापांक 479/रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातार्न्तगत गैर मजरूआ आम/खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जॉच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। वर्तमान राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि मौजा सीतानाथपुर थाना संख्या–135 दाग संख्या–110, 144, 151, 152, 156, 159 सभी दागों में सन्निहित कुल रकबा–28 बीधा 02 कट्ठा 00 धूर भूमि रैयत सोमा सोरेन व नारायण सोरेन के नाम से दर्ज है, जो मौजा–सीतानाथपुर के रैयती खाता संख्या–33 के अर्न्तगत आता है जबकि तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक महेशपुर के द्वारा वर्णित दागों की भूमि को अनाबादी खाता संख्या–35 के अर्न्तगत प्रतिवेदित किया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से समर्पित जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि वर्णित दागों की भूमि रैयती खाता संख्या–33 के अर्न्तगत है न कि अनाबादी खाता संख्या–35 के अर्न्तगत। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एंव प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा वर्णित दागों की भूमि जो रैयती खातार्न्तगत है परन्तु चूकवश अनाबादी खातार्न्तगत प्रतिवेदित किया गया है, की राजस्व पंजी–।। में कायम जमाबंदी विलोपन हेतु बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् परिचालित राजस्व विविध वाद संख्या–217/16–17 की कार्यवाही को स्थगित किए जाने की अनुशंसा की गई है। अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक महेशपुर द्वारा समर्पित अनुशंसित जॉच प्रतिवेदन, मौज–सीतानाथपुर के खाता संख्या–33 के खतियानी पर्चा की छायाप्रति के अवलोकनोपरान्त मौजा सीतानाथपुर थाना संख्या–138 खाता संख्या–33 दाग संख्या–110, 144, 151, 152, 156, 159 सभी दागों में सन्निहित कुल रकबा–28 बीधा 02 कट्ठा 00 धूर के विरूद्ध न्यायालय, अंचल अधिकारी, महेशपुर में राजस्व विविध वाद संख्या–217/16–17 के माध्यम से संस्थित बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा–4(h) की कार्यवाही को बन्द (**DROP**) किया जाता है। आदेश से विपक्षी एंव भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ को अवगत करावें। 04/10/17 अंचल अधिकारी महेशपुर 04/10/17 अंचल अधिकारी महेशपुर	

Digitally signed by SANJAY KUMAR SINHA
Date: 2024.07.10 13:34:18 +05:30
Location: 192.168.0.109

Scanned with CamScanner